संख्या–578 / II–2011–04(28) / 03, टी0सी0

प्रेषक,

आर0सी0 लोहनी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग — देहरादून : दिनांक 22 मार्च, 2011

विषयः **नाबार्ड RIDF-XI, XIII, XIV, XV एवं XVI के अन्तर्गत निर्माणाधीन नलकूप, नहर, लिफ्ट योजनाओं हेतु वर्ष 2010–11 में पुनर्विनियोग / धनावंटन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–718 / मुअवि / बजट / बी–1, सामान्य दिनांक 25.02.2011 एवं पत्र सं0–767 / मुअवि / बजट / बी–1, सामान्य, दि0–03.03.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत RIDF-XI से RIDF-XVI के अन्तर्गत निर्माणाधीन नलकूप / नहर निर्माण / लिफ्ट योजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा अपने पत्रांक 5348 / एफ0ए0डी0(एल0ओ0एस0)–15 / 2010–11, दि0–21.02.2011 द्वारा योजनावार प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि के क्रम में **संलग्न बी0एम0–15** के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से वित्तीय वर्ष 2010–11 में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 600.00 लाख की स्वीकृति सहित **संलग्नक–1** मे वर्णित अनुदान / लेखाशीर्षकों के अनुसार **₹ 1981.82 लाख (₹ उन्नीस करोड़ इक्यासी लाख बयासी हजार मात्र)** की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण कार्य की त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वित्त विभाग एवं नाबार्ड को भी उपलबध कराई जाय।
2. उक्त धनराशि का उपयोग नाबार्ड की गाईड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुए किया जाय।
3. निर्माण कार्यो में भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
4. आवश्यकतानुसार भूगर्भ वैज्ञानिक / ज्योलोजिस्ट से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाय।
5. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलबध कराया जाय।
6. धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता से अधिक किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनायें नाबार्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हैं। यदि बिना

अनुमोदित योजना पर धनराशि व्यय की जायेगी तो उसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा ।

8. कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
9. विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर जो धनराशि रखी जा रही है वह उनके द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो ।
10. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रतिमाह बी0एम0–17 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय में **संलग्नक–1** में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत 24 वृहत् निर्माण कार्य में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–156/XXVII/(1)/11 दिनांक–18 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–578(1)/II–2011–04(28)/03, टी0सी0, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
4. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

संलग्न यथोपरि।

आज्ञा से,

(एस0 एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

D:\YEAR 2010-11\NABARD 2010-11 G.O. NABARD.doc

संलग्नक–1

शासनादेश संख्या–578 / ।।–2011–04(28) / 03 टी0सी0, दिनांक 22/03/11 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	योजना का लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	पूर्व में जारी स्वीकृति	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5
1.	**अनुदान संख्या–20** लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय –04 नलकूपों का निर्माण 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0201 नाबार्ड (आरआईडीएफ 8 योजना)–24 वृहत् निर्माण कार्य	3321.00	2488.79	831.36
2.	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें / अन्य योजनायें 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0202 नाबार्ड वित्त पोषित नहरों का निर्माण 24 वृहत् निर्माण कार्य	4100.00	2980.85	1117.46
3.	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 07 उत्तरांचल की लघुडाल नहरों का पुनरोद्धार 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0203 नाबार्ड वित्त पोषित नहरों का निर्माण 24 वृहत् निर्माण कार्य	229.00	195.56	33.00
	योग	**7650.00**	**5665.20**	**1981.82**

(₹ उन्नीस करोड़ इक्यासी लाख बयासी हजार मात्र)

(एस0एस0 टोलिया)
अनुसचिव।

D:\YEAR 2010-11\NABARD 2010-11 G.O. NABARD.doc

प्रपत्र–बी0एम–15

अनुदान संख्या–20
आयोजनागत

नियन्त्रण अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
प्रशासनिक विभाग: सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन।
वित्तीय वर्ष 2010–11

(धनराशि हजार ₹ में)

बजट प्रावधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय 1/2011 तक	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि सहित लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 04–नलकूपों का निर्माण 800–अन्य व्यय 02–अन्य रखरखाव व्यय 0201–नाबार्ड RIDF योजना 24–वृहत निर्माण कार्य 380000	239814	92201	47985	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06–निर्माणाधीन सिंचाई नहरों/अन्य कार्यों हेतु संस्थाओं से ऋण 800–अन्य व्यय 02–अन्य रखरखाव व्यय 0202–नाबार्ड वित्त पोषित नहरों का निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य 350000 47900	410000	332100	वित्तीय वर्ष 2010–11 में नाबार्ड वित्त पोषित नलकूप निर्माण मद में ₹ 380 00 लाख एवं लिफ्ट सिंचाई मद में ₹ 350.00 लाख का बजट प्राविधान अनुमोदि है, जिसके सापेक्ष क्रमशः नलकूप मद में ₹ 2488.79 लाख एवं लिफ्ट मद में 195.56 लाख की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है, जिसके विरूद्ध क्रमशः मा 1/2011 तक नलकूप मद में ₹ 2398.14 लाख एवं लिफ्ट मद में ₹ 161.70 ला का व्यय किया जा चुका है तथा अवशेष अवधि में क्रमशः नलकूप मद में ₹ 922. लाख एवं लिफ्ट मद में ₹ 66.86 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है, उ व्यय के पश्चात् उक्त दोनों मदों में ₹ 601.29 लाख की बचत होगी। नाबार्ड मद के अन्तर्गत नहर निर्माण/पुनरोद्धार मद में वित्तीय वर्ष 2010– में ₹ 3500.00 लाख का बजट प्रविधान अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष ₹ 2980. लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा शेष अवधि हेतु ₹ 600.00 ला अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी, जो कि नलकूप/लिफ्ट मदों पुनर्विनियोग कर आवंटन किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः तद्नुसार ₹ 600.00 लाख का पुनर्विनियोग प्रस्ताव किया जा रहा है।
4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07–उत्तराखण्ड की लघुडाल नहरों का पुनरोद्धार 800–अन्य व्यय 02–अन्य रखरखाव व्यय 0203–नाबार्ड वित्त पोषित लघुडाल नहरों का निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य 35000	16170	6686	12144	12100		22900	
योग 415000	255984	98887	60129	60000	410000	355000	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एव योजनाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(एन0के0 जोशी)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–1
यू0ओ0 सं0–156–A/XXVII(1)/2011
देहरादून: दिनांक 15 मार्च, 2011

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(आर0सी0 अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त

महालेखाकार, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सं0 578(1)/II–2011–04(28)/2003, टी0सी0 तद्दिनांक
प्रतिलिपि समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0के0 जोशी)
अपर सचिव।

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\D Rawat Doc\Reappropriation.doc